:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS.

मूकदमा नम्बर 02/2022 दायर दिनांक 25.01.2022

1. जैनाब पत्नी अयुब डमरी जाति घाची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

–प्रार्थीया

बनाम

1. ईब्राहीम पिता भीखा जाति घाची
2. जावेद पिता मुसा घाची
3. तस्लीम पिता मुसा घाची
4. नजराना पिता मुसा
5. नफीसा पिता मुसा घाची
6. नुसरत पिता मुसा घाची
7. नसीबा पिता मुसा घाची
8. फरजाना पिता मुसा घाची
9. मुस्तफा पिता मुसा घाची
10. सद्दीक पिता भीखा घाची
11. साबेरा पति मुसा घाची जाति मुसलमान निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।
12. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :–
श्री जगतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता प्रार्थी।
राजकीय पेरोकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 30/07/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 आपस में भाई बहिन एवं भतीजे का सम्बध है। मौजा सीमलवाडा के खसरा संख्या 458, 459, 460, 461 रकबा 1.2059 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की पैतृक है तथा प्रार्थीया का नाम वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज नहीं है। ऐसे में प्रार्थीया को हाल जमाबन्दी में सहखातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी नम्बर 458, 459, 460, 461 में विपक्षी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज नहीं है उक्त आराजीयात अन्य खातेदारो के नाम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र में दर्शाये

Scanned with OKEN Scanner

गये पीढीनामे में प्रार्थीया का नाम नहीं है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीया को कोई दाद मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रकरण खारिज किया जाना फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नामित व्यवियो को पक्षकार नहीं बनाया है ना ही तलब किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित पीढीनामे में प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं है, प्रार्थीया ने उक्त सजरे में उसका नाम अंकित नहीं कर वारिस होना बताया है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में किस प्रकार हकदार है? किस प्रकार उसका नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया है? सावित करने में असमर्थ रही है। यदि प्रार्थीया का नाम नामान्तरण में दर्ज होना रह गया हो तो प्रार्थीया को नामान्तरण की अपील की जानी चाहिए, किन्तु ऐसा भी नहीं किया गया है। ऐसे में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थीया द्वारा अपूर्ण एवं गलत तथ्यों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा